श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
बी-4, कुतुब सांस्थनिक क्षेत्र
नई दिल्ली-110016

क्रमांक. एफ 21(01)/ला.ब.शा.रा.सं.वि./हि.रा.भा./2021–22/1779

दिनांक 07.03.2025

कार्यालय आदेश

राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का अधिनियम संख्यांक 19) की धारा 4 के अनुसरण में गठित संसदीय राजभाषा समिति द्वारा प्रस्तुत सिफारिशों के अनुपालन करने हेतु शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन में निम्नलिखित जाँच बिंदुओं का उल्लेख किया गया है:-

1. **सामान्य आदेश तथा अन्य कागज़ात अनिवार्य रूप से द्विभाषी रूप में जारी करनाः-**
   राजभाषा अधिनियम,1963 यथा संशोधित, 1967 की धारा (3)3 मे उल्लिखित सभी दस्तावेज़ {सामान्य आदेश एवं अन्य कागजात जैसे नदि-प्रति-दिन के सामान्य आदेश ,ज्ञापन ,संकल्प ,अधिसूचनाएँ ,नियम, करार, संविदा, टेंडर नोटिस, एम.ओ.यू. भर्ती नियम(आर.आर), संसदीय प्रश्न, प्रशासनिक प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञाप्ति, लाइसेंस (अनुरज्ञप्ति), परमिट (अनुज्ञा पत्र), नियुक्ति पत्र एवं कार्यवृत्त} आदि हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किये जाएंगे। । इस उददेश्य के लिए हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी दस्तावेज पर तब तक हस्ताक्षर न किए जाएँ जब तक वह द्विभाषी रूप मैं प्रस्तुत न किया जाए। वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि हिन्दी रूपांतर को अंग्रेजी रूपांतर से पहले/ऊपर रखा जाये है।

2. **हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में देना :**
   पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की यह जिम्मेदारी होगी कि वह राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम,1976 (यथा संशोधित, (1987की अपेक्षानुसार हिंदी में प्राप्त पत्र अथवा हिंदी में हस्ताक्षर किए गए आवेदन, अपील या अभ्यावेदन का उत्तर हिंदी में ही दिया जाना सुनिश्चित करे ।

3. **"क" तथा "ख" क्षेत्रों की राज्य सरकारों को भेजे जाने वाले पत्र आदिः**
   प्रेषण अनुभाग जांच बिंदु होगा जो सरकारी आदेशों के अनुपालन में "क" तथा "ख' क्षेत्रों की राज्य सरकारों को भेजे जाने वाले पत्रों आदि को प्रेषण के लिए तभी स्वीकार करेगा जब वे हिंदी में होंगे या उनका हिंदी अनुवाद उनके साथ संलग्न होगा ।

4. **रजिस्टरों के शीर्षक द्विभाषी रूप में लिखनाः**
   कार्यालय में प्रयुक्त होने वाले सभी रजिस्टरों के शीर्षक द्विभाषी रूप में अर्थात् हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखे जाएंगे जिनमें हिंदी रूपान्तर को नियमानुसार अंग्रेजी रूपांतर के ऊपर/पहले रखा जाएगा ।

5. **फाइल कवरों पर विषय द्विभाषी रूप में लिखनाः**
   कार्यालय में प्रयुक्त होने वाली सभी फाइलों के कवरों पर विषय नियमानुसार द्विभाषी रूप में लिखे जाएंगे जिनमें हिंदी रूपान्तर को अंग्रेजी रूपांतर के ऊपरा/पहले रखा जाएगा।

विश्वविद्यालय के समस्त विभागों एव अनुभागों से अनुरोध किया जाता है कि सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अनुसार उपरोक्त राजभाषा समिति द्वारा प्रस्तुत सिफारिशों पर अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

भारती त्रिपाठी

सहायक कुलसचिव (प्रशासन- I)

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- समस्त पीठाध्यक्ष
2- विश्वविद्यालय के समस्त विभाग एवं अनुभाग प्रमुख
3- कुलपति, कुलसचिव/वित्ताधिकारी के निजी सचिव
4- संगणक विभाग को इस आशय से प्रेषित है कि इस कार्यालय आदेश को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करें तथा समस्त विभागों एवं अनुभागों को व्हाट्सएप्प के माध्यम से सूचित करने का कष्ट करें।
5- संबंधित पंजिका

सहायक कुलसचिव (प्रशासन- I)